



राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ 1008(91)/एनएचएम/भामा. स्वा. बी. यो./2017/32

दिनांक 5/1/18

परिपत्र


**विषय:** भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत पॉलिसी वर्ष 2017-18 में बीमा कम्पनी द्वारा गलत क्लेम निरस्त किये जाने पर आवेदन के सम्बंध में।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका योजना की वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 18 के क्रम में लेख है कि बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी वर्ष 2017-18 में निम्न लिखित मामलों में क्लेम निरस्त किया जा सकेगा:-

- यदि क्लेम क्वेरी उपरान्त भी मरीज के एडमिशन/डिस्चार्ज के समय की लाइव फोटो प्रस्तुत नहीं की गई।
- लिया गया पैकेज उस अस्पताल के लिए Allowed नहीं है।
- यदि मरीज का सन्तुष्टि प्रमाण पत्र क्लेम के साथ संलग्न नहीं है।
- आईसीयू अथवा जनरल वार्ड का पैकेज किसी अन्य पैकेज (ब्लड ट्रांसफर को छोड़कर) के साथ लिया गया है तो आईसीयू/जनरल वार्ड का पैकेज रिजेक्ट किया जा सकता है।
- मरीज के डिस्चार्ज से 33 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरांत यदि नेटवर्क अस्पताल द्वारा क्लेम सबमिट किया गया है।
- वे दावे जिनके संबंध में धोखाधड़ी/मॉल प्रेक्टिसेज होना सिद्ध हो गया है।

किसी भी क्लेम को Rejected by Analyzer के स्तर से निरस्त करने पीत्रर निरस्त नहीं माना जाना चाहिए। बीमा कम्पनी द्वारा अन्तिम निरस्त किये गये क्लेम के सम्बंध में ही अपील करने के लिए योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार यदि निरस्त किये गये क्लेम के संबंध में वर्णित कारणों से संबंधित नेटवर्क हॉस्पिटल असहमत है तो आदर्शक दस्तावेजों के साथ एवं निरस्त किये गये कारण से असहमत होने का कारण देते हुए संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी के समक्ष निरस्तीकरण के 30 दिवस की अवधि में आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए निम्न फॉर्मेट में सूचना Excel Sheet में आवश्यक रूप से भर कर व्यक्तिशः या ई मेल आई.डी. bsbyraj.reject@gmail.com पर प्रेषित करें।

S.No	TID	DOA	DOD	Patient Name	Hospital Name	District	Rejection Reason by NIAC	Remark/Justification of the Hospital against reasons given by NIAC
1								
2								

  
(अनील जैन)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक एफ 1008(91)/एनएचएम/भामा. स्वा. बी. यो./2017/32  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-


दिनांक 5/1/18

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
- निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
- निजी सचिव अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जयपुर।



राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

4. शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी को प्रेषित कर लेख हैं कि अभी तक किये गये उपरोक्त दोनों पैकेज के अन्तर्गत अस्पतालों द्वारा प्रेषित किये गये क्लेमस को निरस्त नहीं किया जावे।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. संभाग सयुक्त निदेशक, (समस्त संभाग)।
8. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त।
9. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से संबंधित समस्त अस्पताल।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल।
12. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क)
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन एच एम/एन आर एच एम समस्त जिले।
14. योजना से सम्बद्ध समस्त निजी एवं राजकीय अस्पताल।
15. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी